न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 227/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/705

उनवान

1. मांगीलाल पिता गोपा जाति मीणा, उम्र वयस्क, निवासी चांसड़ा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)

.................प्रार्थी

बनाम

1. कजोड़ पिता देवा भील जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. लोगर पिता देवा भील जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. उमा पिता लालु डांगी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी खेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज०)
4. कन्हैयालाल पिता दूदा डांगी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी खेड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज०)
5. गोवर्धन पिता पेमा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी विरघोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. जेतराम पिता सखा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. तुलसीराम पिता भेरा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
8. पृथ्वीराज पिता पेमा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
9. प्रभूलाल पिता जेतराम जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
10. भगवतीबाई उर्फ भागवन्तीदेवी पत्नी खेमराज जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
11. रामलाल उर्फ डालचन्द पिता पेना जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी विरधोलिया तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी पटवार हल्का वीरधोलिया, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री शिवदयाल राव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 2 ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1[illegible] राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 23.03.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तहसील घासा के आराजी नम्बर 1777, 2033/1777 किता 2 कुल रकबा 1.1816 हैक्टेयर भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए उक्त कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1777 की दक्षिण दिशा एवं आराजी नम्बर 2033/1777 के पश्चिम दिशा की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी खातेदारी की भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 1777 की सीमा की दक्षिण दिशा एवं आराजी संख्या 2033/1777 के पश्चिम दिशा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर सीमांकन कराया जावें तथा विपक्षी संख्या 1 से 11 को पाबन्द किया जावें कि वो मुझ प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, वृक्ष नही काटे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। साथ ही मेरे खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 11 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को दिलाया जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 12, 13 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 व 2 को जवाब का पर्याप्त समय दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 5 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगड़ी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। विपक्षी संख्या 3, 4, 6 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।
3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलीया तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 1777, 2033/1777 किता 2 कुल रकबा 1.1816 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purandi
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। साथ ही उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : आदेश : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलीया तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 1777, 2033/1777 किता 2 कुल रकबा 1.1816 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन कर आराजी नम्बर 1777 की दक्षिण दिशा एवं आराजी नम्बर 2033/1777 के पश्चिम दिशा में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने या जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करें। पत्थरगड़ी करने के पश्चात उभय पक्षो का कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:00 IST
Reason: SelfAttested